Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ **बीकानेर में चोरूराम, कनिष्ठ सहायक को 20,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 25 मार्च, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी बीकानेर द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी श्री चोरूराम कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर को 20,000/– **रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी बीकानेर को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के निलम्बन अवधि का वेतन बनाने की एवज में आरोपी श्री चोरूराम कनिष्ठ सहायक 50,000/– रूपये रिश्वत की मांग कर 30,000/– रूपये पूर्व में प्राप्त करना व वर्तमान में 20,000/– रूपये और मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस–तृतीय श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी बीकानेर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद शर्मा** के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेश श्रीमाली** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपी श्री चोरूराम पुत्र श्री पुरखाराम, उम्र 52 वर्ष, निवासी गांव खारी चारणान पुलिस थाना गजनेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला को 20,000/– **रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।